

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 11 जून, 2024 / 21 ज्येष्ठ, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 06 जून, 2024

संख्याः ईडीएन—सी—ए(3)—2/2020.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, 53—राजपत्र/2024—11—06—2024 (1769) हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग मे प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक(कला / नॉन—मेडिकल / मेडिकल), ग्रुप—सी (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार निम्नलिखित भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक(कला / नॉन—मेडिकल / मेडिकल), ग्रुप—सी (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2024 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
निरसन और व्यावृत्तियां	2.	(1) हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्याः ईडीएन—सी—ए(3)12/2007—लूज, तारीख 22—10—2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, वर्ग—।।।, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2009 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप—नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

राकेश कंवर, सचिव (शिक्षा)।

उपाबन्ध-"क"

हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक(कला/नॉन-मेडिकल/मेडिकल), ग्रुप-सी (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नामः	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक
2. पद (पदों) की संख्याः	14224 (चौदह हजार दो सौ चौबीस)
3. वर्गीकरणः	ग्रुप—सी (अराजपत्रित)
4. वेतनमानः	(I) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमानः हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं(संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार समयमान (टाइम स्केल) से सलंग्न पे मैट्रिक्स का लेवल—10 । (II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियाँः हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60: (साठ प्रतिशत)।

राज	पत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जून, 2024 / 21 ज्येष्ठ, 1946 1771
5. "चयन" पद अथवा	अचयन पद
"अचयन" पदः	
6. सीधी भर्ती के लिए आयुः	18 से 45 वर्ष
	परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ
	या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही
	सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः
	परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया
	अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो,
	तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित
	आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः
	परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित
	जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस
	विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार
	के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
	परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के
	प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में
	आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी
	ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है।
	ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे
	कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त
	निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर
	निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त
	निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।
	टिप्पण.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम
	दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद(पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के
	लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित
	किया गया है।
7. सीधे भर्ती किए जाने	(क) अनिवार्य अर्हता (अर्हताएं):
वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम	1. <u>प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला)ः</u>
शिक्षक और अन्य अर्हताएं:	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या तो स्नातक में या
	स्नातकोत्तर में कम से कम पचास अकों के साथ
	बी०ए० / बी०कॉम / स्नातकोत्तर (एम०ए० / एम०कॉम०) और एक
	वर्ष का शिक्षा स्नातक(बी०एड०) / दो वर्षीय शिक्षा स्नातक
	(बी०एड०)।
	या
	न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ

रनातकोत्तर(एम०ए० / एम०कॉम०) और एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन वर्षीय एकीकृत शिक्षा स्नातक—शिक्षा निष्णांत (इंटिग्रेटिड बी०एड० —एम०एड०)

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी / दस जमा दो और प्रारम्भिक शिक्षा में 4 वर्ष का स्नातक (बी०एल०एड०)।

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी / दस जमा दो और 4 वर्षीय कला शिक्षा स्नातक (बी०ए०एजुकेशन) / बी०ए० बी०एड०)

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी०ए० / बी०कॉम और एक वर्ष की शिक्षा स्नातक बी०एड० (विशेष शिक्षा)।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या तो स्नातक(बी०ए० / बी०कॉम०) में या स्नातकोत्तर(एम०ए० / एम०कॉम) में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी०ए० / बी० कॉम / स्नातकोत्तर(एम०ए० / एम०कॉम) और एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी०एड०)।

और

(ii) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा सम्यक रुप से संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी०ई०टी०) में उत्तीर्ण हो।

परन्तु जिन पदधारियों ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी०ई०टी०) पहले ही उत्तीर्ण कर ली है वे भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा संख्या 76–4/2010/एनसीटीई/एकेड, तारीख 11–02–2011 को जारी दिशानिर्देशों के पैरा–11 में यथा अधिकथित शर्त के अध्यधीन पात्र होंगे।

2. प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (नॉन मेडिकल):

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या तो विज्ञान स्नातक (नॉन मेडिकल) में या स्नातकोत्तर (भौतिक विज्ञान या गणित या रसायन विज्ञान में विज्ञान निष्णांत) में कम से कम पचास प्रतिशत अकों सिहत बी०एससी० (नॉन मेडिकल) / स्नातकोत्तर (भौतिक विज्ञान या गणित या रसायन विज्ञान में विज्ञान निष्णांत) और एक वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी०एड०) / दो वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी०एड०)।

या

न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ रनातकोत्तर (भौतिक विज्ञान या गणित या रसायन विज्ञान में विज्ञान निष्णांत) और एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन वर्षीय एकीकृत शिक्षा स्नातक—शिक्षा निष्णांत (बी०एड०—एम०एड०) ।

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी / दस जमा दो विज्ञान(नॉन मेडिकल) और 4 वर्ष का प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (बी०एल०एड०)।

य

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ विज्ञान(नॉन मेडिकल) में सीनियर सेकेंडरी / दस जमा दो और 4 वर्षीय बी०एस०सी०(नॉन मेडिकल) शिक्षा(एड०) / बी०एस०सी०(नॉन मेडिकल) बी०एड०।

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ विज्ञान स्नातक(नॉन मेडिकल) और एक वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी०एड०) (विशेष शिक्षा)।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक(नॉन मेडिकल) या स्नातकोत्तर (भौतिक विज्ञान या गणित या रसायन विज्ञान में विज्ञान निष्णांत) मे कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ विज्ञान स्नातक(नॉन मेडिकल) / स्नातकोत्तर(भौतिकी या गणित या रसायन विज्ञान मे विज्ञान निष्णांत) और एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी०एड०)।

और

(ii) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा सम्यक रुप से संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी०ई०टी०) में उत्तीर्ण हो।

परन्तु जिन पदधारियों ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी०ई०टी०) पहले ही उत्तीर्ण कर ली है वे भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा संख्या 76–4/2010/एनसीटीई/एकेड, तारीख 11–02–2011 को जारी दिशानिर्देशों के पैरा–11 में यथा अधिकथित शर्त के अध्यधीन पात्र होंगे।

- 3 प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (मेडिकल)ः
 - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक(मेडिकल) या स्नातकोत्तर (प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में विज्ञान निष्णांत) में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित विज्ञान स्नातक (मेडिकल) / स्नातकोत्तर (प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में विज्ञान निष्णांत) और एक वर्षीय शिक्षा स्नातक(बी०एड०) / दो वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी०एड०)।

या

न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर (प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में विज्ञान निष्णांत) और एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन वर्षीय एकीकृत शिक्षा स्नातक—शिक्षा निष्णांत (बी०एड०—एम०एड०) ।

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ में सीनियर सेकेंडरी/दस जमा दो (विज्ञान— मेडिकल) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में रनातक (बी०एल०एड०)।

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ में सीनियर सेकेंडरी / दस जमा दो विज्ञान(मेडिकल) और 4 वर्षीय बी०एस०सी०(मेडिकल) शिक्षा(एड०) / बी०एस०सी० (मेडिकल) बी०एड०।

य

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ विज्ञान(मेडिकल) स्नातक और एक वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी०एड०) (विशेष शिक्षा)।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या तो विज्ञान स्नातक (मेडिकल) या तो स्नातकोत्तर(प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में विज्ञान निष्णांत) में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ विज्ञान स्नातक (मेडिकल)/रनातकोत्तर (प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में विज्ञान निष्णांत) और एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी०एड०) हो।

और

(ii) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा सम्यक रुप से संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी०ई०टी०) में उत्तीर्ण हो।

परन्तु जिन पदधारियों ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी०ई०टी०) पहले ही उत्तीर्ण कर ली है वे भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा संख्या 76–4/2010/एनसीटीई/एकेड, तारीख 11–02–2011 को जारी दिशानिर्देशों के पैरा–11 में यथा अधिकथित शर्त के अध्यधीन पात्र होंगे।

ख) <u>वाँछनीय अर्हता (अर्हताएं)ः</u>

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

टिप्पण (1):—परन्तु स्नातक में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन पदधारियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 29 जुलाई, 2011 से पहले ही शिक्षा स्नातक (बी०एड०) या प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक में प्रवेश ले लिया था।

टिप्पण (2):—अभ्यर्थी वर्ग—III पद पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा यदि उसने दसवीं और 102 की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित

किसी स्कूल / संस्थान से उतीर्ण की होः
परन्तु यह और कि यह शर्त हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासियों को लागू नहीं होगी।
टिप्पण(3):— हिमाचल प्रदेश के एस०सी० / एस०टी० / ओ०बी०सी० / पी०डब्ल्यू०डी० प्रवर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं और टी०ई०टी० के लिए न्यूनतम अर्हित अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
टिप्पण(4):—उन अभ्यर्थियों के मामले में जिन्होंने बी०एड० पाठयक्रम में प्रवेश एम०ए० / एम०एस०सी० में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के आधार पर लिया है पर ही प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के पद के लिए विचार किया जाएगा।
आयु : लागू नहीं
शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) ः हां, जैसी स्तंभ संख्या ७ में विहित की गई है
सीधी भर्ती / प्रोन्नित :
(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैस सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।
(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा लागू नहीं होगी।
(i) यथास्थिति, पचहत्तर प्रतिशत निम्नेलेखित रीतियों मे सीधी भर्ती द्वारा, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वाराः—
(क) 37.5 प्रतिशत यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से । (ख) 37.5 प्रतिशत बैच बाईच आधार पर ।
(ii) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
(i) पंन्द्रह प्रतिशत सेवारत जे०बी०टी० में से प्रोन्नित द्वारा जो उपरोक्त स्तम्भ सख्या ७ मे विहीत शैक्षिक अर्हता रखते हों और जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो; (ii) दस प्रतिशत सेवारत शास्त्रीय और भाषा अध्यापक (सी० एण्ड बी०)

में से प्रोन्नित द्वारा जो उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 मे विहीत अनिवार्य शैक्षिक अर्हता रखते हों और जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

पदो को भरने के लिए निम्नलिखित रोस्टर का अनुसरण का अनुसरण किया जाएगा:--

क्रम		प्रर्वग	रोस्टर विन्दु ४०
संख्या			
1.	जे0बी0टी0		पहला, ग्याहरवां, बीसबां,
			इक्कीसवां, इकतीसवां, और
			चालीसवां ।
2.		गौर भाषा (सी0 एण्ड	
	वी0)		और छत्तीसवां।
3.		हिमाचल प्रदेस	दूसरा, चौथा, सातवां, नौवां,
	सीधी भर्ती	लोक सेवा आयोग	बारहवां, चौहदवां, सतरहवां,
	साधा मता	या कोई अन्य भर्ती	उन्नीसवां, चौबीसवां,
		अभिकरण के	सत्ताईसवां, उनतीसवां,
		माध्यम से।	बत्तीसवां, चौतीसवां, सैतीसवां,
			और उनतालीसवां।
		बैच बाईच	तीसरा, पांचवां, आठवां,
		आधार पर	दसवां, तेहरवां, पन्द्रहवां,
			अठारहवां, बाईसवां, तेईसवां,
			पच्चीसवां, अठाईसवां, तीसवां,
			तैंतीसवां पैतीसवां और
			अडतीसवां।

टिप्पण.—रोस्टर प्रत्येक चालीसवें पद के पश्चात तब तक चक्रानुचक्रित किया जाता रहेगा जब तक कि समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता और तत्पश्चात् रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ हो ।

(I) परन्तु प्रोन्नित के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/किठन/ दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक ;प्द्ध उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि ऐसे पदाधािरियों को उनकी प्रोन्नित पर दूरस्थ / ग्रामिण क्षेत्रों मे तैनात / स्थानान्तरित किया जा सकेगाः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होंने जन जातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में कम

से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (कॉंडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—I. उपरोक्त परन्तुक (I) के लिए जनजातीय / किटन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं / सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अविध या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अविध अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण—II. उपरोक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय ∕ कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

- 1. राज्य में समस्त जनजाति क्षेत्र
- 2. चम्बा जिला का चुराह एवं मेहला खण्ड(ब्लाक)
- रामपुर उपण्डल का 15/20, 18/20, 12/20 क्षेत्रों के अन्तर्गत कुकी, दरकली, मुनीष, काशापाट पंचायत, जिला शिमला ।
- 4. जिला शिमला के उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
- 5. जिला शिमला के रोहडू उप—मण्डल के छोहारा खण्ड(ब्लाक) की जावल, खाबल पेखा तांगनू, जांगलिक, दिउड़ी, मायला, सिंदासली, धगोली, रोहल, रानोल, खरशाली, गांवशारी, डिसवानी, ढाकगांव पंचायतें।
- 6. जिला शिमला की कुपवी उप-तहसील
- 7. काँगडा जिला की छोटा भंगाल और बडा भंगाल क्षेत्र
- 8. सिरमौर जिला की शिलाई और संगडाह तहसीलें
- जिला सिरमौर मे तहसील नौहराधार के चरना पटवार वृत्त और ददाहु तहसील के खाला क्यार, भाटगढ़, कोटिधिमान और जराग के पटवार वृत्त ।
- 10. जिला मण्डी का चौहार धाटी

स्पष्टीकरण—III: उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ ∕ ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

- (i) उप—मण्डल / तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।
- (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलामीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पडती है।
- (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र ।

- (II) प्रोन्नित के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नित के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
 - (i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने—अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अईता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नित नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नित किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नित के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:— अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत किनष्ट पदधारी प्रोन्नित के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जो आपातकाल की अविध के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती हुआ था और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमेन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

	राज	पत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 जून, 2024 / 21 ज्येष्ठ, 1946 1779
12.	यदि विभागीय प्रोन्नि	विभागीय प्रोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति
	समिति / विभागीर	
		जैसी सरकार द्वारा समय—समय पर गठित की जाएगी।
	विद्यमान हो, तो उसर्क	
	संरचनाः	
13.		जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो
	परिस्थितियों में	
	हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से	
	सवा आयाग स परामर्श किया जाएगा	
14.		किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होन
14.	अनिवार्य अपेक्षाः	अनिवार्य है।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद प नियुक्ति के लिए चयनः	(क) सीधी भर्तीः:
		सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा
		के गुणागुण और / या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षण या
		शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका
		स्तर / पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा
		आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया
		जाएगा।
		(ख) बैच बाईच आधार भर्ती:—
		बैच बाईच आधार सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्त के लिए चयन, उस विशिष्ट बैच के अभ्यर्थियों, जो राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उर्त्तीण हुए हों की बैच बाईच मैरिट/ पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा ।
		सम्बद्ध विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा व्यावसायिक परीक्षा के श्मूल ब्यौरावार अंक प्रमाण पत्रश्न पर अभिलिखित तारीख अभ्यर्थी के बैच की गणना करने हेतु निर्णीत (डीम्ड) तारीख समझी जाएगी ।
		यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के व्यावसायिक परीक्षा प्रमाण पत्र, एक ही तारीख को जारी किए गए हैं तो आयु मे ज्येष्ठ अभ्यर्थी को मेरिट में किनष्ठ अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा । यदि जन्म की तारीख भी एक है तो उस दशा में व्यावसायिक परीक्षा में अंकों की उच्च प्रतिशतता रखने वाले अभ्यार्थी को वरिष्ठ माना जाएगा और यदि व्यावसायिक परीक्षा में अंकों की भी प्रतिशतता एक समान है तो उस दशा में बी०ए० / बी०एस०सी० / बी०कॉम मे उच्च प्रतिशतता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा यदि फिर भी कोई एक समान है, तो उस दशा में उच्च शैक्षणिक अहर्ता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा और यदि उस स्थिति में समान उच्च शैक्षणिक अहर्ता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा और यदि उस स्थिति में समान उच्च शैक्षणिक अहर्ता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा और यदि उस स्थिति में समान उच्च शैक्षणिक अहर्ता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना

जाएगा ।

15—क संविदा नियुक्ति, द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :—

(I) संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक(कला/नान मेडिकल/मेडिकल) ग्रुप—सी अराजपत्रित को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण —पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण के कार्यक्षेत्र में आनाः

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश किमचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण, के समक्ष रखेगा।

(ग) पद का र्कमचारी चयन आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण से बाहर आनाः निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात रिक्त पद(पदों) के ब्यौरे, कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों मे विज्ञापित करवायेगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हता और पात्रता को पूरा करने वाले अभ्याथियों से आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक को ₹22860 / — की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रकियाः

(क) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आने हेत:— संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयकम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण /प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण के कार्यक्षेत्र से वाहर होनाः—

बैच बाईच आधार भर्ती सीधी भर्ती के मामले मे पद पर नियुक्ति के लिए चयन, उस विशिष्ट बैच के अभ्यर्थियों, जो राज्य / केंदीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से उर्तीण हुए हों की बैच बाईच मैरिट पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा ।

सम्बद्घ विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा व्यावसायिक परीक्षा के मूल श्ब्यौरावार अंक प्रमाण पत्रश् पर अभिलिखित तारीख अभ्यर्थी के बैच की गणना करने हेत् निर्णीत(डीम्ड) तारीख समझी जाएगी।

यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के व्यावसायिक परीक्षा प्रमाण पत्र, एक ही तारीख को जारी किए गए हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को मेरिट में किनष्ठ अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा । यदि जन्म की तारीख भी एक है तो उस दशा में व्यावसायिक परीक्षा में अंकों की उच्च प्रतिशतता रखने वाले अभ्यार्थी को वरिष्ठ माना जाएगा और यदि व्यावसायिक परीक्षा में अंकों की भी प्रतिशतता एक समान है तो उस दशा में बी०ए० / बी०एस०सी० / बी०कॉम में उच्च प्रतिशतता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा यदि फिर भी कोई एक समान है, तो उस दशा में उच्च शैक्षणिक अहर्ता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा और यदि उस स्थिति में समान उच्च शैक्षणिक अहर्ता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा और यदि उस स्थिति में समान उच्च शैक्षणिक अहर्ता रखने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा ।

- (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः
 - (क) पद का हिमाचल प्रदेश कंमचारी चयन आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण के कार्य क्षेत्र में आना:—

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश प्रदेश कंमचारी चयन आयोग द्वारा समय—समय पर गठित की जाए ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कंमचारी चयन आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण के कार्य क्षेत्र से वाहर आना:—

जैसी सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाए ।

(VI) करारः

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न <u>उपाबन्ध—ख</u> के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तैः

- (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 22860 / की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम(जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी ।
 - (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकरिमक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी । संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तृत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसृति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनिधकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अविध अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी

अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

- (ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में. चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरुप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रुप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरुप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रुप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है । ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0—एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ—साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षणः

सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय—समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षाः

लागू नहीं

18.शिथिल करने की शक्तिः	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन
	है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश
	लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी / किन्हीं
	उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद
	(पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—ख

प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

2	यह करार श्री/श्रीमती		पुत्र / पुत्री श्री			
निवार्स	n	संविदा पर नियुक्त व	पक्ति (जिसे इसमें	इसके पश्चात् प्र	थम पक्षकार	कहा
गया है	है) और हिमाचल प्रदेश के राज्य	यपाल के मध्य निदेशक	, प्रारम्भिक शिक्षा,	हिमाचल प्रदेश(नि	नेयुक्ति प्राधि	कारी
का पर	दनाम) (जिसे इसमें इसके पश्च	ात् द्वितीय पक्षकार कह	हा गया है) के माध	ध्यम से आज तारी	खं	
.को वि	क्रेया गया। द्वितीय पक्षकार ने र	उपरोक्त प्रथम पक्षकार	को लगाया है अं	ोर प्रथम पक्षकार	ने	
के रूप	न में संविदा आधार पर निम्नित	लेखित निबन्धन और श	ार्ती पर सेवा करने	ने के लिए सहमति	ा दी है:	
1.	यह कि प्रथम पक्षकार	ਰ	हे रूप में	से प्रारम्भ होने	और	
	को समाप्त होने वाले दिन	तक एक वर्ष की अवि	धे के लिए द्विती	य पक्षकार की सेव	वा में रहेगा।	यह
f	वेनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित	किया गया है और द	ोनों पक्षकारों द्वा	रा करार पाया ग	ाया है कि	प्रथम
τ	ाक्षकार की द्वितीय पक्षकार के न	साथ संविदा, आखिरी	कार्य दिवस्	अर्थात्को	स्वयंमेव	ही
τ	गर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी त	।था सूचना नोटिस आव	ाश्यक नहीं होगाः			
τ	गरन्तु संविदा अवधि में वर्षानुव	वर्ष आधार पर विस्ता	रण / नवीकरण व	ने लिए सम्बद्ध	विभागाध्यक्ष	यह

परन्तु सर्विदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

- प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹22860 / प्रतिमास होगी (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल(स्तर) के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी)।
- 3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
- 4 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्ड़र वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त मिहला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त मिहला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सिहत गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर

पैंतालीस दिन से अनिधक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनिधकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अविध अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

- 6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा / होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें पिरसंकटमय स्वरुप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अविध को सेवा—शर्त के रुप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के पिरणामस्वरुप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रुप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थिगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है । ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ ई०पी०एफo / जी०पी०एफo भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख मास और वर्ष को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों व	की उपस्धि	थति में:	
1			
(नाम व प	नुरा पता)		

1786	राजपत्र,	हिमाचल	प्रदेश, 1	1 जून,	2024 / 21	ज्येष्ट,	1946			
2								(प्रथम	पक्षकार	के हस्ताक्षर)
(नाम व पूरा पता)										
1										
(नाम व पूरा पता)						वि	देतीय	पक्षका	र के हस्त	नाक्षर)
2						(**				,
(नाम व पूरा पता)										

[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-C-A(3)-2/2020, dated 06th June, 2024 as required under Clause(3) of Article 348 of the constitution of India].

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 6th June, 2024

- No. EDN-C-A(3)-2/2020.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment and Promotion Rules for the post of Trained Graduate Teacher (Arts/Non-Medical/Medical), Group-C (Non-Gazetted) in the Department of Elementary Education, Himachal Pradesh, as per Annexure-'A' appended to this notification, namely:—
- Short title and commencement.— (1) These rules may be called the "Himachal Elementary Education Department, Trained Graduate Teacher Medical/Medical), Group-C (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2024".
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
- Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Elementary Education Department, Trained Graduate Teacher (Class-III, Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified vide this Department's Notification No. EDN-C-A(3)12/2007-L dated 22nd October, 2009 are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any action taken or anything done under the Rules so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

RAKESH KANWAR, Secretary(Education).

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF TRAINED GRADUATE TEACHER (ARTS/NON-MEDICAL/MEDICAL), GROUP-C (NON-GAZATTED) IN THE DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION, HIMACHAL PRADESH

1.	Name of post	Trained Graduate Teacher
2.	Number of Post(s)	14224 (Fourteen Thousand Two Hundred Twenty Four)
3.	Classification	Group-C (Non-Gazetted)
4.	Scale of Pay (Be given in expanded notation)	(i) Pay Band for regular incumbent(s): Level 10 of pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.
		(ii) Pay Band for contractual incumbent(s):60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of
		the corresponding cadre, as per H.P. Civil Services(Revised Pay) Rules, 2022.
5.	Whether selection post or Non selection post.	Non-Selection
6.	Age for direct recruitment.	Between 18 to 45 years:
	reer arement	Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of Government including those who have been appointed on ad-hoc basis or on contract basis:
		Provided further that if a candidate appointed on <i>ad-hoc</i> basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her adhoc or contract appointment:
		Provided further that the upper age limit is relaxable for Scheduled Caste /Scheduled Tribe/Other Backward classed and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.
		Provided further that the employees of all the public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such corporations/autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public sector

Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial Constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note.— Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Educational Qualifications.

(a) ESSENTIAL QUALIFICATION:-

1. TRAINED GRADUATE TEACHER (ARTS):

i) BA/B.Com./ Post Graduation (M.A/M.Com) from a recognized University with at least 50% marks either in Graduation or in Post Graduation and 1 year's Bachelor of Education (B.Ed.)/2 Year's Bachelor of Education (B.Ed.).

OR

Post Graduation (M.A./M.Com) with a minimum 55% marks and three-year integrated B.Ed.-M.Ed. from NCTE recognized institution.

OR

<u>Senior Secondary/10+2</u> with at least 50% marks and 4 year's Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.).

OR

Senior Secondary/10+2 with at least 50% marks and 4 year's B.A. Education(Ed.)/B.A.B.Ed.

OR

B.A/B.Com with at least 50% marks and 1-year's Bachelor in Education (B.Ed.) (Special Education).

OR

BA/B.Com./Post Graduation(M.A./M.Com.) from a recognized University with at least 50% marks either in Graduation or in Post Graduation (M.A./M.Com) and Bachelor of Education(B.Ed.) from NCTE recognized institution.

AND

ii) Pass in Teacher Eligibility Test (TET) duly conducted by H.P. Board of School Education Dharamshala, Distt. Kangra or any other Agency authorized by the Government.

Provided that the incumbents who have already qualified the Teacher Eligibility Test (TET) conducted by H.P. Board of School Education Dharamshala shall also be eligible subject to the condition as laid down in Para-11 of the guidelines issued by the National Council for Teacher Education *vide* No. 76-4/2010/NCTE/Acad, dated 11.02.2011.

2. TRAINED GRADUATE TEACHER (NON-MEDICAL):-

i) B.Sc.(Non Medical)/Post Graduation (M.Sc. in Physics or Mathematics or Chemistry) from a recognized University with at least 50% marks either in B.Sc (Non Medical) or in Post Graduation (M.Sc. in Physics or Mathematics or Chemistry) and 1 year's Bachelor of Education (B.Ed.)/ 2 Year's Bachelor of Education (B.Ed.)

OR

Post Graduation (M.Sc, in Physics or Mathematics or Chemistry) with a minimum of 55% marks and three-year integrated B.Ed.-M.Ed. from a NCTE recognized institution.

OR

Senior Secondary/10+2 in Science(Non-Medical) with atleast 50% marks and 4 year's Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)

OR

Senior Secondary/10+2 in Science (Non-Medical) with atleast 50% marks and 4 year's B.Sc(Non Medical).Ed/B.Sc(Non Medical).B.Ed.

OR

B.Sc (Non Medical) with at least 50% marks and 1-year's Bachelor in Education (B.Ed.) (Special Education).

OR

B.Sc(Non Medical)/Post Graduation (M.Sc. in Physics or Mathematics or Chemistry) from a recognized University with at least 50% marks either in B.Sc.(Non-Medical) or in Post Graduation (M.Sc. in Physics or Mathematics or Chemistry) and Bachelor of Education (B.Ed.) from NCTE recognized institution.

AND

ii) Pass in Teacher Eligibility Test (TET) duly conducted by H.P. Board of School Education Dharamshala, Dist. Kangra or any other Agency authorized by the Government:

Provided that the incumbents who have already qualified the Teacher Eligibility Test (TET) conducted by H.P. Board of School Education Dharamshala shall also be eligible subject to the condition as laid down in Para-11 of the guidelines issued by the National Council for Teacher Education vide No. 76-4/2010/NCTE/Acad, dated 11.02.2011.

3. TRAINED GRADUATE TEACHER (MEDICAL):-

i) B.Sc. (Medical)/Post Graduation (M.Sc. in Zoology or Botany) from a recognized University with at least 50% marks in B.Sc. (Medical) or Post Graduation (M.Sc. in Zoology or Botany) and 1 year's Bachelor of Education (B.Ed.)/ 2 Year's Bachelor of Education (B.Ed.).

OR

Post Graduation (M.Sc. in Zoology or Botany) with a minimum of 55% marks and three-year integrated B.Ed.-M.Ed. from a NCTE recognized institution.

OR

Senior Secondary/10+2 in Science (Medical) with atleast 50% marks and 4 year's Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.).

OR

Senior Secondary/10+2 in Science (Medical) with at least 50% marks and 4 year's B.Sc.(Medical)Ed/B.Sc(Medical).B.Ed.

OR

B.Sc (Medical) with at least 50% marks and 1-year's Bachelor in Education (B.Ed.) (Special Education)

OR

B.Sc(Medical)/Post Graduation (M. Sc. in Zoology or Botany) from a recognized University with at least 50% marks either in B.Sc.(Medical) or Post graduation (M.Sc in Zoology or Botany) and Bachelor of Education (B.Ed) from NCTE recognition institution.

AND

ii) Pass in Teacher Eligibility Test (TET) duly conducted by H.P. Board of School Education Dharamshala, Dist. Kangra or any other Agency authorized by the Government.

Provided that the incumbents who have already qualified the Teacher Eligibility Test (TET) conducted by H.P. Board of School Education Dharamshala shall also be eligible subject to the condition as laid down in Para-11 of the guidelines issued by the National Council for Teacher Education vide No. 76-4/2010/NCTE/Acad, dated 11.02.2011.

		(b) DESIRABLE QUALIFICATION(s):
		Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
		Note(1). —Provided that minimum percentage of marks in graduation shall not be applicable to those incumbents who had already taken admission to the Bachelor of Education or Bachelor of Elementary Education prior to the 29th July, 2011.
		Note(2).—A candidate shall be eligible for appointment to Class-III post(s), if he/she has passed Matriculation and 10+2 from any School/Institution situated within Himachal Pradesh: Provided this condition shall not apply to Bonafide Himachali. Note(3):- Relaxation upto 5% will be allowed in minimum educational qualifications and also in minimum qualifying marks for TET to the candidates belonging to SC/ST/OBC/PWD categories of H.P.
		Note(4). —In case of candidates who have taken admission in B.Ed. course on the basis of M.A./M.Sc. with at least 50% marks shall only be considered for the post of TGT.
8.	Whether age and Educational qualification prescribed for direct	Age: Not Applicable
	recruits will apply in the case of	Educational Qualification(s) : Yes. As prescribed in the Column No. 7
9.	recruits will apply in	
9.	recruits will apply in the case of promotees.	Qualification(s): Yes. As prescribed in the Column No. 7 Direct Recruitment/Promotion:-
9.	recruits will apply in the case of promotees. Period of probation,	Qualification(s): Yes. As prescribed in the Column No. 7 Direct Recruitment/Promotion:- (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons
9.	recruits will apply in the case of promotees. Period of probation, if any Method(s) of recruitment whether by direct recruitment or by	 Qualification(s): Yes. As prescribed in the Column No. 7 Direct Recruitment/Promotion:- (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. (b) No probation in case of appointment on contract basis. (i) 75% by direct recruitment on regular basis or recruitment on contract basis as the case may be in the following manners:-
	recruits will apply in the case of promotees. Period of probation, if any Method(s) of recruitment whether by direct	 Qualification(s): Yes. As prescribed in the Column No. 7 Direct Recruitment/Promotion:- (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. (b) No probation in case of appointment on contract basis. (i) 75% by direct recruitment on regular basis or recruitment on contract basis as the case may be in
	recruits will apply in the case of promotees. Period of probation, if any Method(s) of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and percentage of	 Qualification(s): Yes. As prescribed in the Column No. 7 Direct Recruitment/Promotion:- (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. (b) No probation in case of appointment on contract basis. (i) 75% by direct recruitment on regular basis or recruitment on contract basis as the case may be in the following manners:- (a) 37.5% through Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog on regular basis or on contract basis, as
	recruits will apply in the case of promotees. Period of probation, if any Method(s) of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and percentage of posts to be filled in by various methods.	 Qualification(s): Yes. As prescribed in the Column No. 7 Direct Recruitment/Promotion:- (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. (b) No probation in case of appointment on contract basis. (i) 75% by direct recruitment on regular basis or recruitment on contract basis as the case may be in the following manners:- (a) 37.5% through Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog on regular basis or on contract basis, as the case maybe.

recruitment by promotion/
Secondment/
transfer, grade(s) from which promotion/
Secondment/
transfer is to be made.

- possessing the educational qualification as prescribed in Col. No. 7 above, with at least five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.
- ii) 10% by promotion from amongst the in-service Classical & Vernacular Teachers (C&Vs) possessing the essential educational qualification as prescribed in Col. No. 7 above, with at least five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

For filling up the posts the following roster shall be followed:-

Sl.	Category		Roster Point(40)		
No.					
1.	JBT		1, 11, 20, 21, 31 and 40.		
2.	Classical & Vernacular		6, 16, 26 and 36.		
	(C&V)				
3.	Direct	Through	2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 19,		
	recruitment	HPPSC or	24, 27, 29, 32, 34, 37		
		any other	and 39.		
		recruiting			
		agency			
		Through	3, 5, 8, 10, 13, 15, 18,		
		Batch-wise	22, 23, 25, 28, 30, 33,		
			35 and 38.		

Note.—This roster will be rotated after every 40th post till the representation to all the categories is achieved by the given percentage and thereafter the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post.

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/ Hard areas and remote/rural areas subject to adequate numbers of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation. However, such incumbents may posted/transferred to remote/rural areas on their promotion.

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I:- For the purpose of proviso (I) supra the

"term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation II:- For the purpose of proviso (1) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

- 1. All Tribal areas in the State
- 2. Churah, Mehla Blocks of Chamba District
- 3. 15/20, 18/20, 12/20 area of Rampur Sub Division including Kuki, Darkali, Munish, Kashapat Panchayat, District Shimla.
- 4. Dodra Kwar, Sub Division of District Shimla
- 5. Jabal, Khabal, Pekha Tangnu, Janglik, Diudi, Mayla, Sindasli Dhagoli, Rohal, Ranol, Kharshali, Gaonsari, Diswani, Dhakgaon Panchayats of Chhohara Block of Rohru Sub Division, District Shimla.
- 6. Sub Tehsil Kupvi of District Shimla
- 7. Chhota Bhangal and Bara Bhangal Areas of Kangra District.
- 8. Shillai and Sangrah Tehsils of Sirmour District
- 9. Patwar Circle charana of Tehsil Nohradhar and Patwar Circles; Khala Kyar, Bhatgarh, Koti Dhiman and Jarag of Tehsil Dadahu, District Sirmour.
- 10. Chuhar Ghati of District Mandi

Explanation III:- For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:

- i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from sub Division/Tehsil headquarter.
- ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District headquarters where bus service is not available and on foot journey is more that 3 (three) Kms.
- iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
- (II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:
 - (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his

total length of service (including service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex- Servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provision of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the H.P. Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service; if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment and Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

	I	17		
12.	If a Departmental			
	Promotion	Promotion Committee:		
	committee exists.			
	What is its	As may be constituted by the Government from time to		
	Composition.	time.		
13.	Circumstances	As required under the law		
15.		As required under the law		
	under which the			
	Himachal Pradesh			
	Public Service			
	Commission(H.P.P.			
	S.C) is to be			
	consulted in			
	making			
	recruitment.			
1.4		A 1:1 + C : + + + + + + + + + + + + + + + + +		
14.	Essential	A candidate for appointment to any service or post must be a		
	requirement for a	citizen of India.		
	direct recruitment :			
15.	Selection for	(a) Direct recruitment:-		
	appointment to the	` '		
	post by direct	Selection for appointment in the case of direct		
	recruitment.	recruitment shall be made on the basis of merit of		
	recruitment.			
		written examination and/ or practical test or skill test		
		or physical test, the standard/syllabus etc. will be		
		determined by the Himachal Pradesh Rajya Chayan		
		Aayog/ other recruiting agency/ authority, as the		
		case may be.		
		out may co.		
		(b) Recruitment on Batch-wise:-		
		Selection for appointment to the post in the case of		
		direct recruitment on batch-wise shall be made by the		
		Director of Elementary Education on the basis of batch-		
		wise merit/inter-se-seniority of the candidate of a		
		particular batch passed out from the		
		1		
		University/institution duly recognized by the		
		State/Central Government.		
		The date recorded by the concerned		
		University/Institution on the original 'Detailed Marks		
		ı		
		Certificate' of final professional examination shall be		
		deemed date for reckoning the batch of the candidate.		
		If more than one candidate has been issued the final		
		professional examination certificate on the same date in		
		that event the candidate who is senior in age will be		
		placed above the candidate junior in age. If date of Birth		
		is also same, in that event the candidate having higher		
		percentage of marks in professional examination will be		
		considered senior and if percentage of marks in		
		professional examination is also same in that event		
		<u>*</u>		
		candidate having higher percentage in		

B.A./B.Sc/B.Com. will be considered senior. If still there is a tie, in that event candidate having Higher Educational Qualification will be considered senior and if candidates having similar Higher Educational Qualification in that event the candidate having higher percentage of marks will be considered senior.

15 -A Selection for appointment to the post by contract recruitment.

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy, the Trained Graduate Teacher(Arts/Non-Medical/Medical), Group-C(Non Gazetted) in the Department of Elementary Education Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis.

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HIMACHAL PRADESH RAJYA CHAYAN AAYOG (HPRCA)/OTHER RECRUITING AGENCY:-

The Director, Elementary Education, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog / other recruiting Agency/authority, as the case may be.

(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY:-

The Director, Elementary Education, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts, on contract basis, will advertise the detail of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(d) The selection will be made in accordance with the eligibility condition prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:-

The Trained Graduate Teacher appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 22860/- (which shall be 60%(sixty percent) of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre).

(III) APPOINING/ DISCIPILANARY AUTHORITY:-

The Director, Elementary Education, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:-

(a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of merit of written examination and/ or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determined by the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting agency/authority, as the case may be.

(b) FOR POSTS(S) FALLING OUT OF THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY:

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment on batch-wise shall be made by the Director of Elementary Education on the basis of batch-wise merit/inter-se-seniority of the candidate of a particular batch passed out from the University/institution duly recognized by the State/Central Government.

The date recorded by the concerned University/Institution on the original 'Detailed Marks Certificate' of final professional examination shall be deemed date for reckoning the batch of the candidate.

If more than one candidate has been issued the final professional examination certificate on the same date, in that event, the candidate who is senior in age will be placed above the candidate junior in age. If date of Birth is also same, in that event the candidate having higher percentage of marks in professional examination will be considered senior and if percentage of marks in professional examination is also same in that event candidate having higher percentage in B.A./B.Sc/B.Com. will be considered senior. If still there is a tie, in that

.

event candidate having Higher Educational Qualification will be considered senior and if candidates having similar Higher Educational Qualification in that event the candidate having higher percentage of marks will be considered senior.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINMENTS:-

(a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY:-

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog /other recruiting agency, from time to time.

(b) FOR POSTS(S) FALLING OUTSIDE THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RERUITING AGENCY:-

As may be constituted by the Government from time to time.

(VI) AGREEMENT:-

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per **Annexure-"B**" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:-

- (a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.22860/- P.M. (which shall be 60% (Sixty percent) of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
- (c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month's service, 10 day's

medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 day' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(e) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who

		10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		
		as a result of tests is found to be pregnant of 'twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.		
		(f) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.		
		(g) Provisions of service rules like FR-SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).		
16.	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.		
17.	Departmental Examination	Not applicable		
18.	Power to Relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).		

Annexure-B

Form of contract/ agreement to be executed between the Trained Graduate Teacher (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through Director of Elementary Education. (Designation of the Appointing Authority).

	This agreem	ent is	made or	this		day o	of		in	the
year		betweer	n Sh./Sm	ıt		_ s/o S	hri			r/o
					_Contract	appointe	e (herei	nafter	called	the
FRIST	PARTY), AN	ND The	Governo	r of Himach	al Pradesl	n through	Direc	tor of	Elemen	tary
Educat	ion (Designa	ation	of the	Appointing	Authority	y)/Head	of the	Inst	itution	i.e

Principal/Headmaster (here-in-after the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Trained Graduate Teacher (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1.	That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Trained
	Graduate Teacher (Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of
	and ending on the day of It is specifically mentioned and
	agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND
	PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e on
	And information/ notice shall not be necessary:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the Head of the Institution shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

- 2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 22860/- per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).
- 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her
- 4. Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 day' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
- 5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

- 6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.
- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
- 8. Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required, to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official.
- 9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:		
1		
(Name and full Address)		
2		
(Name and full Address)		(Signature of the FIRST PARTY)
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1		
(Name and full Address)		
2		
(Name and full Address)		(Signature of the Second PARTY)
	कार्मिक विभाग नियुक्ति—II	

शिमला-2, 10 जून, 2024

अधिसूचना

संख्याः पर (एपी-बी)ई(3)-17 / 2024.-- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना

संख्याः 2–6 / 71 डी०पी०(नियुक्ति—II), तारीख 20–09–1973 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21–09–1973 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्रॉम कंसलटेशन) रेगुलेशनज, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात :–

संक्षिप्त नाम 1. (i) और प्रारम्भ। इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्रॉम कंसलटेशन) (अमेंडमेंट) रेगुलेशनज, 2024 है।

(ii) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे

शेड्यूल का 2. संशोधन। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्रॉम कंसलटेशन) रेगुलेशनज, 1973 से संलग्न शेड्यूल की मद संख्या 8 की क्रम संख्या (ix) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(x) Process of selection and recommendations for making recruitment to the post of Physical Education Teacher, Group-C, Post Code-634, in the Education Department."

आदेश द्वारा,

आर. डी. नज़ीम, प्रधान सचिव (कार्मिक)

[Authoritative English text of this department notification No. Per (AP-B)E(3)-17/2024 dated 10-06-2024, as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

Appointment-II

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 10th June, 2024

No. Per (AP-B)E(3)-17/2024.—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of Article 320 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following regulations further to amend the Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1973, notified *vide* Notification No. 2-6/71 DP (Apptt.II) dated 20-09-1973, as published in Government of Himachal Pradesh extra ordinary Rajpatra dated 21-09-1973, namely:—

Short title and commencement.

1.

- (i) These Regulations may be called Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) (34th Amendment) Regulations, 2024.
- (ii) These shall come into force with immediate effect.

Amendment of 2. the Schedule.

In the Schedule appended to the Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1973, in item No. 8, after Serial No. (ix), the following shall be inserted, namely:—

"(x) Process of selection and recommendations for making recruitment to the post of Physical Education Teacher, Group-C, Post Code-634, in the Education Department."

By order,

R.D. NAZEEM, *Principal Secretary (Personnel)*.

CHANGE OF NAME

I, Rajinder Singh s/o Prithvi Singh, r/o Village Kotla Sikardi, P.O. Surla, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) declare that in my Aadhar card my name wrongly written as Rajender Singh instead of Rajinder Singh Parmar and my father name is Prithvi Singh Parmar.

RAJINDER SINGH s/o Prithvi Singh, r/o Village Kotla Sikardi, P.O. Surla, Tehsil Nahan, District Sirmour (H.P.).

नाम परिवर्तन

में, सरिता आयु 39 वर्ष पत्नी श्री तेज राम, निवासी ग्राम मानण, डाकघर शिलारू, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) शपत पत्र के माध्यम से ब्यान करती हूं कि मेरा नाम आधार कार्ड में सरिता दर्ज है व पंचायत रिकॉर्ड में सावित्री दर्ज है। सभी दस्तावेजों में मेरा नाम सरिता के स्थान पर सावित्री किया जाए।

सरिता पत्नी श्री तेज राम, निवासी ग्राम मानण, डाकघर शिलारू, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि०प्र०)।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th January, 2024

No. TCP-F05/5/2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a "Special Area Development Authority" for Barot Special Area designated as such vide this Department's Notification No. TCP-F05/5/2023 dated 26-12-2024 as under:—

1.	Deputy Commissioner, Distt. Mandi	Chairman
2.	Divisional Forest Officer, Distt. Mandi	Member
3.	District Tourism Development Officer, Mandi, Distt. Mandi	Member
4.	Executive Engineer, HPPWD, Mandi-I, Distt. Mandi	Member
5.	Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Padhar, Distt. Mandi	Member
6.	Executive Engineer, HPSEBL, Joginder Nagar, Distt. Mandi	Member
7.	Environmental Engineer, HP Pollution Control Board, Bilasp	ur <i>Member</i>
8.	Project Officer, D.R.D.A, Mandi, Distt. Mandi	Member
9.	Tehsildar, Padhar, Distt. Mandi	Member
10.	Town and Country Planner, Mandi	Member Secretary

By order,

DEVESH KUMAR, Principal Secretary (TCP).

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT


NOTIFICATION


Shimla-2, the 18th May, 2024

No. TCP-F05/3/2022.—In exercise of the powers conferred by Section 21 read with the Section 37 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Central Act 7 of 2014), subject to the other provisions of the Act, the State Government hereby declare the area from South Portal of Atal Tunnel Rohtang to Palchan Bridge as Nonvending zone except for the Area-1 (eco friendly market at Solang) at Solang Nallah and Area-2 (Eco Friendly Market at Dhundi bridge) at Dhundi near Atal Tunnel, as per Map enclosed.

By order,

DEVESH KUMAR, Principal Secretary (TCP).





ब अदालत श्री मोहन लाल महन्त, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप—तहीसल परमाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 02 / 2024 संस्थापन तिथि : 04-04-2024

श्रीमती सीमा पुत्री राम मोहन, निवासी रंगीलियन स्ट्रीट, मेहली गेट, फगवाडा, कपुरथला।

बनाम

आम जनता

इश्तहार बनाम राजस्व अभिलेख नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

इश्तहार बाबत आम जनता।

यह आवेदन पत्र श्रीमती सीमा पुत्री राम मोहन, निवासी रंगीलियन स्ट्रीट, मेहली गेट, फगवाड़ा, कपूरथला ने इस आशय से गुजारा है कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम सीमा पुत्री राम मोहन दर्ज है। जबिक उसने शादी के बाद अपना नाम बदल कर हीमा पत्नी अनिल कुमार कर दिया है। प्रार्थिया ने अपना नाम हीमा पत्नी अनिल कुमार होने बारे अपना हल्फिया ब्यान, विवाह पंजिकरण प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड व पासपोर्ट इत्यादि साक्षया के रूप में प्रस्तुत किये है। आवेदन पत्र बराये छानबीन पटवारी हल्का तीडों को भेजा गया था जो बाद रिपोर्ट इस कार्यायल को प्राप्त हुआ है। पटवारी द्वारा बाद छानबीन स्पष्ट किया है कि प्रार्थिया का नाम सीमा पुत्री राम मोहन के बजाये सीमा उपनाम हीमा दर्ज किया जाना उचित है।

अतः इस बाबत आम जनता / हितबद्ध व्यक्तियों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम को सीमा उपनाम हीमा पुत्री राम मोहन करने बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह इस नोटिस के छपने के एक माह के अन्दर इस न्यायालय में असालतन व वकालतन अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद समय किसी भी प्रकार का एतराज काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख में सीमा उपनाम हीमा करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-04-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील परमाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171 004, 11 जून, 2024

संख्याः वि०स0-विधायन-शपथ/1-2/2023.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 11 जून, 2024 को जारी निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

" मैं, शिव प्रताप शुक्ल, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, एतद्द्वारा श्री कुलदीप सिंह पठानिया, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, को ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं, जिसके समक्ष 4 जून, 2024 को 18—धर्मशाला, 21—लाहौल और स्पिति (अ०ज०जा०), 37— सुजानपुर, 39—बड़सर, 42—गगरेट व 45—कुटलैहड़ विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के उप—चुनाव में निर्वाचित सदस्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के उपबन्धों के अनुरूप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे।

हस्ताक्षरित / – (शिव प्रताप शुक्ल), राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। 1808